कार्यालय : प्राचार्य, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अशोकनगर (म.प्र.)

कार्यालय दूरभाष एवं फेक्स नं. 07543.220834 ई–मेल hegndcash@mp.gov.in

क्रमांक : 892 / 20 अशोकनगर, दिनांक : 08.12.2020

नवीन अध्यापन व्यवस्था हेतु विज्ञप्ति

महाविद्यालय जनभागीदारी समिति शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अशोकनगर (म.प्र.) द्वारा पारित प्रस्ताव क्रमांक 8 (1 एवं 2), दिनांक 29.07.2020 के परिपालन में सत्र 2020–21 हेतु जनभागीदारी समिति द्वारा की गई **नवीन स्थानीय व्यवस्था** के अन्तर्गत अध्यापन व्यवस्था हेतु निम्न विषयों में अतिथि विद्वान हेतु आवेदन इस विज्ञप्ति के उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर कार्यालय समय में लिखित आमंत्रित किये जाते हैं –

क.	विषय	अतिथि विद्वानों की संख्या	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (स्नातकोत्तर में न्यूनतम 55 प्रतिशत)	मानदेय (रूपये प्रतिमाह)
01	बी.एससी. वनस्पति शास्त्र	01	एम.एससी. वनस्पति शास्त्र	9000 / –
02	बी.ए. – अंग्रेजी	01	एम.ए. अंग्रेजी	9000 / –
03	एम.ए. हिन्दी	01	एम.ए. हिन्दी	9000 / –

शर्तें :–

01. अतिथि विद्वानों के चयन हेतु गुणानुक्रम निर्धारण में उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित योग्यता, अनुभव के अंक संबंधी नियम एवं प्रक्रिया प्रयोग की जावेगी ।
02. आमंत्रित आवेदकों को प्राचार्य द्वारा सौंपे गये शैक्षणिक एवं शैक्षणेत्तर कार्यों का संपादन करना होगा । यदि प्राचार्य द्वारा उक्त चयनित अतिथि विद्वानों द्वारा महाविद्यालय में आवश्यकता होने पर अपने विवेकाधिकार से कोई अध्यापन व्यवस्था की जाती है तो इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा तथा जनभागीदारी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव अनुसार शासकीय अतिथि विद्वानों की भांति कार्यावधि में ब्रेक रहेगा ।
03. आमंत्रित अतिथि विद्वानों की महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति दर्ज होगी जिसके लिये महाविद्यालय में न्यूनतम पांच घंटे रूकना अनिवार्य होगा, तदनुसार ही संबंधित का पारिश्रमिक देय होगा ।
04. उक्त व्यवस्था पूर्णतः अस्थाई है । आमंत्रित आवेदक किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अन्तर्गत मान्य नहीं होंगे तथा लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अन्तर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे ।
05. आमंत्रित आवेदक का कार्य असंतोषजनक होने/अनुशासनहीन आचरण होने पर अथवा अन्यत्र कहीं भी नियोजित सिद्ध हो जाने पर आमंत्रण व्यवस्था बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकेगी । इस संबंध में प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा । साथ ही आमंत्रित अतिथि विद्वान के किसी भी कारण से लगातार सात दिन से अधिक अनुपस्थित होने पर उसके आमंत्रण की व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी और उसके स्थान पर गुणानुक्रम में अगले क्रम के आवेदक को आमंत्रित करने का प्राचार्य को अधिकार होगा ।
06. विज्ञप्ति की विषय सामग्री में आंशिक या पूर्णतः संशोधन का सम्पूर्ण अधिकार महाविद्यालय प्राचार्य को रहेगा ।
07. आवेदन पत्र, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाईट पर इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के दिनांक से 10 दिवस के अन्दर महाविद्यालय में कार्यालय समय सायं 05:30 तक प्राप्त हो जाने चाहिए ।
08. आवेदन पत्र को आवेदक द्वारा अपने जीवित मोबाईल नम्बर सहित अपना सम्पूर्ण विवरण समस्त प्रमाणित दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है । आवेदन के साथ समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव एवं जाति संबंधी प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति आवश्यक रूप से संलग्न की जावे ।
09. आवेदन पत्र के लिफाफे पर विषय/पद अनिवार्य रूप से लिखें । चयन के संबंध में अन्तिम निर्णय जनभागीदारी समिति का होगा ।
10. आवेदन करने पर यह माना जायेगा कि आवेदक को इस विज्ञप्ति की समस्त शर्तें मंजूर हैं ।
11. उपरोक्तानुसार प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर बनाई गई मेरिट सूची सत्र 2020–21 के लिये भी मान्य होगी ।

8/12/20

(डॉ. एस.के. तिवारी)
प्राचार्य / सचिव जनभागीदारी समिति

प्राचार्य
शास स्नातकोत्तर नेहरू महाविद्यालय
अशोकनगर (म.प्र.)

प्रतिलिपि : 893–894 / 20 दिनांक 08.12.2020

01. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी. सेल, कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन, की ओर इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि उपर्युक्त विज्ञप्ति को उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करने का कष्ट करें ।
02. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) ।

8/12/20

(डॉ. एस.के. तिवारी)
प्राचार्य / सचिव जनभागीदारी समिति

प्राचार्य
शास स्नातकोत्तर नेहरू महाविद्यालय
अशोकनगर (म.प्र.)